कार्यालय उप वन संरक्षक जयपुर

ग्रास फार्म नर्सरी,खातीपुरा रोड जयपुर

क्रमांक एफ (3)/एफसीए/उवसंज/2021-22/ 5651 दिनांक 27/7/2021

निमित्तः– मुख्य वन संरक्षक
जयपुर।

विषयः– प्रस्ताव संख्या एफ पी/आर.जे./वाटर/42602/2019 की स्वीकृति के सम्बंध में।

सन्दर्भ :– अधिशाषी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग परियोजना खण्ड द्वितीय(उत्तर) जयपुर का पत्रांक 1064–1067 दिनांक 23.07.2021 एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी आमेर के पत्रांक 387 दिनांक 26.07.2021 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रस्ताव संख्या एफ पी/आर.जे./वाटर/42602/2019 की स्वीकृति हेतु आप द्वारा पम्प हाउस के निर्माण के सम्बंध में विस्तृत सूचना चाही गई थी। आप द्वारा चाही गई सूचना के सम्बंध में अधिशाषी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग परियोजना खण्ड द्वितीय(उत्तर) जयपुर ने सन्दर्भित पत्र के जरिये स्थानीय जन प्रतिनिधियों के प्रार्थना पत्र एंव निवासियों के बयानात(प्रति सलंग्न) से यह अवगत करवाया है कि पम्प हाउस का **निर्माण कार्य लगभग 1975 से 1980 के मध्य शुरू किया गया था।** क्षेत्रीय वन अधिकारी आमेर के संदर्भित पत्रानुसार उक्त पंप हाउस का निर्माण 1980 से पूर्व हो चुका था। संदर्भित पत्रों के अनुसार प्रस्ताव में पूर्व से निर्मित पम्प हाउस वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लघन की श्रेणी में नहीं आता है।

अतः प्राप्त पत्र मय स्थानीय निवासियों के बयान एंव जन प्रतिनिधियों के प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि सलंग्न कर अग्रीम एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु चार प्रतियों में प्रेषित है।

सलंग्न :– उपरोक्तानुसार

भवदीय

27/7/21

(वीर सिंह ओला)
उप वन संरक्षक
O/C जयपुर

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
परियोजना खण्ड़–।। (उत्तर),जयपुर (राज.)

नियर रिजर्व बैंक कॉलोनी, गांधीनगर, जयपुर–302015

ई–मेल आईडी eepdiin@gmail.com दूरभाष नं. (कार्यालय):–0141-2711894

क्रमांक :– अ.अ. / जन.स्वा. / परि.खण्ड–।।(उत्तर) / जयपुर / 2021–22 / 1064–1067 दिनांक– 23.7.21

श्रीमान् उप वन संरक्षक,
जयपुर।
Email id: dfosouthjpr@gmail.com

विषय :– प्रपोजल न. एफ.पी / आर.जे / वाटर / 42602 / 2019 स्वीकृति हेतु।

FCA 23/7/21

संदर्भ:– आपके कार्यालय का पत्रांक: एफ(3) / FCA / उवसंज / 2021–22 / 5095 दिनांक: 15.07.2021। (व्हाट्सएप पर प्राप्त दिनांक 22.07.2021)

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र द्वारा आपके द्वारा न्यू फिल्टर प्लान्ट स्थित पूर्व निर्मित विभागीय पम्प हाउस के दस्तावेज / संख्यों की प्रति चाही है। लेख है कि उक्त पम्प हाऊस जलदाय विभाग के नियमित खण्ड़ के अधीन आता है एवं नियमित खण्ड़ द्वारा अवगत करवाया है कि पूर्व में जयपुर की पेयजल आपूर्ति रामगढ़ बांध का निर्माण वर्ष 1901 में कर बंधगेट स्थित हैडवर्क्स से लक्ष्मण डूंगरी फिल्टर प्लांट द्वारा वर्ष 1930 में शुरू की गयी परन्तु बढ़ती मांग को देखते हुए द्वितीय फेज में न्यू फिल्टर प्लान्ट पर पम्प हाउस व फिल्टर प्लांट का निर्माण करवाया गया, न्यू फिल्टर प्लान्ट के भूमि स्वामित्व सम्बन्धित कोई दस्तावेज कार्यालय रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं हैं। इस बाबत स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं स्थानीय लोगों के अनुसार ज्ञात हुआ कि न्यू फिल्टर प्लान्ट का निर्माण कार्य लगभग वर्ष 1975–80 में शुरू किया गया था।

अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नः– 1. क्षेत्र विधायक महोदय का पत्र– 01 नग।
2. स्थानीय पार्षदों का पत्र–02 नग।
3. स्थानीय लोगों के साक्ष्य पत्र–03 नग।

22.7.2021
(अंजू हर्ष)
अधिशाषी अभियंता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
परियोजना खण्ड़–।। (उत्तर) जयपुर

क्रमांक:– अ.अ. / जन.स्वा. / परि.खण्ड–।। (उत्तर) / जयपुर / 2021–22 / 1064–1067 दिनांक: 23.7.21

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूर्चनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, परियोजना वृत, शहर जयपुर।(sepcjpr@gmail.com)
2. अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर वृत (उत्तर), जयपुर।(phedsecjpr_phed@yahoo.com)
3. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर खण्ड़–तृतीय (उत्तर), ब्रह्मपुरी, जयपुर। (een3jpr@gmail.com)

22.7.2021
अधिशाषी अभियंता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
परियोजना खण्ड़–।। (उत्तर) जयपुर

डॉ. सतीश पूनियां
विधायक (आमेर)
प्रदेश अध्यक्ष

सत्यमेव जयते

भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान
Bhartiya Janta Party, Rajasthan

क्रमांक:2021/1660
दिनांक: 22/07/2021

श्रीमान् उपवन संरक्षक,

जयपुर।

विषयः—रैगर मौहल्ले, आमेर शहर में निर्मित 1250 कि.ली क्षमता के जलाशय को भरने हेतु बिछाई जाने वाली पाइप लाइन हेतु वन विभाग से एनओसी जारी करवाने एवं न्यू फिल्टर प्लांट स्थित पंप हाउस के सम्बन्ध में।

महोदय,

आमेर शहर के रैगर मौहल्ला, हांडीपुरा, ठाठर कॉलोनी, मेहन्दी का बांस आदि क्षेत्रों को पयेजल से लाभान्वित करने हेतु जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग द्वारा रैगर मौहल्ले में एक 1250 कि.ली. क्षमता के जलाशय का निर्माण किया गया है। इस जलाशय को भरने हेतु पाइप लाइन वन विभाग के क्षेत्र से होकर गुजरेगी, जिसके लिये विभाग द्वारा अभी तक स्वीकृति जारी नहीं की गई है। वर्तमान में मेरे संज्ञान में आया है कि वन विभाग द्वारा स्वीकृति जारी करने हेतु जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से न्यू फिल्टर प्लांट स्थित पंप हाउस के निर्माण सम्बन्धी दस्तावेज चाहे गये है।

मेरी जानकारी अनुसार यह पंप हाउस काफी पुराना बना हुआ है तथा लगभग 40–45 वर्ष पूर्व का निर्मित है।

अतः इस प्रकरण का निराकरण कर जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को पाइप लाइन बिछाने हेतु स्वीकृति जारी किये जाने का श्रम करावे, जिससे क्षेत्रवासियों को पेयजल उपलब्ध कराया जा सके।

(डॉ.सतीश पूनियां)
प्रदेश अध्यक्ष भाजपा राजस्थान एवं
विधायक आमेर (जयपुर ग्रामीण)।

कार्यालय : सी–51, सरदार पटेल मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर फोन : 0141–2225040, 2221364 ई–मेल : bjprajasthanjaipur@gmail.com
निवास : 772, जनपथ, राणीसती नगर (निर्माण नगर), अजमेर रोड़, जयपुर फोन :0141–2812155 | ई–मेल : satishpoonia.office@gmail.com

बयान

मैं देवीनारायण सैनी S/0 श्री रामचन्द्र सैनी उम्र 72 वर्ष जाति माली निवासी मानबाग जयसिंहपुरा खोर, जयपुर, राजस्थान शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मेरी जानकारीनुसार जयपुर दिल्ली बाईपास पर सडवा मोड के नजदीक स्थित जलदाय विभाग का पम्प हाऊस एवं फिल्टर प्लांट का निर्माण रामगढ़ बांध से जयपुर में पेयजल की बढ़ती मांग को देखते हुए वर्ष 1979 में किया गया था। मैं जन्म से इसी स्थान पर निवास करता हूँ। अतः मेरे द्वारा दिया गया बयान से मैं सहमत हूँ तथा मेरी निशानदेही के लिए मैं हस्ताक्षर कर रहा हूँ।

देवीनारायण सैनी
9929118100
मानबाग जयसिंहपुरा
खोर, जयपुर

बयान

मैं विरधीचन्द सोनी S/o मन्नालाल सोनी जाति - सोनी उम्र 73 वर्ष नि० सराय बावड़ी, आमेर सौ० शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मेरी उम्र 73 वर्ष है, तथा मैं बचपन से यहीं का निवासी हूँ मेरे द्वारा बचपन से ही मानबाग स्थित पम्प हाउस को देखा है यह लगभग 1975 से 1980 के मध्य बना था। उक्त बयान मैं बिना किसी नशे-पत्ते में होशो हवास के दे रहा हूँ। बतौर साक्षी मेरे निशानात अंगूठा लिया गया है।

नाम विरधीचन्द
पुत्रश्री - मन्नालाल

बयान

मैं आजाद सिंह S/O गिरधारी सिंह उम्र 60 वर्ष जाति ठाकुर निवासी मानबाग स्टोर सड़ा बस्ती के पास मैं शपथ-पूर्वक बयान करता हूं। मैं जन्म से उक्त पते पर निवास करता हूं। तथा मेरी जानकारी अनुसार उक्त पम्प हाउस वर्ष 1978 से 1980 के मध्य स्थानीय निवासियों की पेयजल की जरूरी भोग। तथा जनापूर्ति के लिए किया गया था अतः मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि उक्त पम्प हाउस मेरी जानकारी के हिसाब से 1978-80 के मध्य बना था अतः मैं उक्त स्थान के पास के स्थानीय निवासी हूँ। अतः मेरे द्वारा दिया गया बयान पर सहमत हूं। तथा मेरी निशानदेही के मध्य मैं हस्ताक्षर कर रहा हूं

आजाद सिंह

M. 9529109515

पूरणमल सैनी
पार्षद (वार्ड नं. 3)
नगर निगम हैरिटेज जयपुर

निवास :
नीमडाला की ढाणी, पीली की तलाई
आमेर (जयपुर) राज.
मो. 9351545493
7849944208

क्रमांक

दिनांक 20/7/2021

श्रीमान
उपवन संरक्षक महोदय
जयपुर

विषय:- आमेर स्थित रैगर मोहल्ला को पेयजल से लाभान्वित करने बाबत वनक्षेत्र से पाइपलाइन डालने की अनुमति देने हेतु :-

मान्यवर,
उपरोक्त विषय में निवेदन है कि आमेर स्थित रैगर मोहल्ला, डोडीपुरा, डहर, मेहन्दीबास आदि क्षेत्रों को पेयजल से लाभान्वित करने हेतु Phed द्वारा रैगर मोहल्ला में एक 1250 कि.ली. क्षमता की जलाशय का निर्माण किया गया है। इस जलाशय को भरने हेतु पाइपलाइन आपके विभाग के क्षेत्र से गुजरेगी। जिसके लिए वन विभाग द्वारा स्वीकृति नही दी गई है। वर्तमान में मेरे संज्ञान में आया है कि वन विभाग द्वारा स्वीकृति जारी करने के लिए Phed विभाग से न्यू फिल्टर प्लांट स्थित पम्प हाउस के निर्माण सम्बन्धित दस्तावेज चाहे हैं। मेरी जानकारी अनुसार उक्त पम्पहाउस सन् 1975 से 1980 के मध्य बना था। अतः आपसे निवेदन है कि उक्त प्रकरण का निस्तारण करके Phed विभाग को पाइप लाइन बिछाने की अनुमति दिलवाने का श्रम करें। जिससे क्षेत्रवासियों को पेयजल से लाभान्वित किया जा सके।

पूरणमल सैनी

धन्यवाद

पूरणमल सैनी
पार्षद वार्ड नं. 3
नगर निगम हैरिटेज, जयपुर
20-7-2021